

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDERANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.


भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



डी. एस. कार्तिगेयन
D. S. KARTHIGEYAN
रेगनल पासपोर्ट ऑफिसर
रेगनल पासपोर्ट ऑफिस
राष्ट्रीय/विदेशीय

पासपोर्ट

PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

रिजर्वेशन / OBSERVATION

विशिष्ट सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

RAMENDRA KUMAR SINHA



N6481941

माता का नाम / Name of Mother

DHARAMSILA

पति का नाम / Name of Spouse

MADHUSMITA BHUYAN

पता / Address

NO 515 MAHAVEER RHYOLITE NAYANAPANAHALLI

BTM 4TH STAGE, BENGALURU

PIN: 560076, KARNATAKA, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

G4341378

24/07/2007

BANGALORE

फाइल नं. / File No.

BN2079070800716



पंजीकरण
विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन /
केन्द्र में अपना पंजीकरण करावाएं।

चेतावनी
यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी
से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिससे पासपोर्ट नष्ट होने की प्राप्ति है
तो उसको तुरंत अनुपस्थित किया जाए।

यह पासपोर्ट छूट कर किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा
प्रधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही लेना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का फायदा या विकृति
नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना प्राप्त में सबसे
निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अल्ट्रा उर्फ पासपोर्ट धारक विभाग में है तो निकटतम भारतीय
मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को अवगत दी जानी चाहिए। विन्यत पृष्ठसंख्या के बाद ही
डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER
THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF
INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A
PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING
DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH
IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY
POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER
OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE
ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE
IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY
IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN
MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE
ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.